संख्या-155/2018/2114/71-1-2018-जी-136/2014

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 12 जून, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 12 नं0 माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 12 नं0 माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2942.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश दिनॉक 14-10-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 2942.70 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 1824.03 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-21/1360/71-1-14-जी-136/2014, दिनॉक 14-10-2014	50.00
2	शासनादेश संख्या-70/2015/671/71-1-15-जी-136/2014, दिनॉक 27-03-2015	400.00
3	शासनादेश संख्या-209/2015/2513/71-1-15-जी-136/2014, दिनॉक 15-12-2015	477.42
4	शासनादेश संख्या-60/2016/917/71-1-16-जी-136/2014, दिनॉक 28-03-2016	101.17
5	शासनादेश संख्या-122/2016/1297/71-1-16-जी-136/2014, दिनॉक 16-05-2016	450.00
6	शासनादेश संख्या-150/2016/1945/71-1-16-जी-136/2014, दिनॉक 29-07-2016	95.44
7	शासनादेश संख्या-43/2018/1010/71-1-18-जी-136/2014, दिनॉक 15-03-2018	250.00
	योग-	**1824.03**

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/97, दिनॉक 07-06-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 12 नं0 माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- के सापेक्ष रू0 2,50,00,000/- (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- शासनादेश संख्या-21/1360/71-1-14-जी-136/2014, दिनॉक 14-10-2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 155/2018/2114(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।